22/09/17

पुनरीक्षणकर्ता शिवनारायण सहित श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता उप0, वकालतनामा पेश।

प्रतिपुनरीक्षणकर्ता कं0 4 द्वारा श्री ए०एस० रापा

अधिवक्ता उप0।

शेष प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण अनिर्वाहित।

पुनरीक्षणकर्ता शिवनारायण ने व्यक्त किया कि वह इस पुनरीक्षण को बल नहीं देना चाहते है। बल न देने से पुनरीक्षण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

चूकि पुनरीक्षणकर्ता अपनी पुनरीक्षण पर बल नहीं देना चाहता है, अतः यह पुनरीक्षण बल ने देने के कारण निरस्त की गयी।

प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अमिलेखागार भेजा जाये।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सन्न न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड म०प्र० Dicharden Stant